भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1020
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

ईपीएफ पेंशन

1020. श्री के. राधाकृष्णन::

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 4 नवम्बर, 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वेतन के समानुपात में पेंशन के भुगतान हेतु उपरोक्त राशि का उपयोग करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा पात्र पेंशनभोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई, 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ख): माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया गया है और पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है जिसमें यथानुपात गणना का प्रावधान है।

जारी..2/-

(ग) और (घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस, 1995) के तहत पेंशन फंड एक साझा फंड है। पेंशन निधि में, व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है। ईपीएस, 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आहरण लाभ या पेंशन के लिए पात्र होते हैं।

वर्तमान में उपलब्ध बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि घाटे में है।

****